बिहार विधान सभा सचिवालय

पटना-800015

विज्ञापन संख्या-01/2016 बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त 10 (दस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आरक्षण कोटि के अनुसार पदों का विवरण:- (1)अनारक्षित - 3 (तीन) पद, (2)अनारक्षित (महिला)-02 (दो) पद (3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 01 (एक) पद, (4) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) 01 (एक) पद, (5) अनुसूचित जाति 01 (एक) पद, (6) अनुसूचित जाति (महिला) 01 (एक) पद, (7)पिछड़ा वर्ग (महिला) 01 (एक) पद अनुमान्य है। (8) अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग -शून्य।

सरकारी सेवकों को आवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी से अग्रसारित कराकर देना होगा।

2. वेतनमान पी०बी०-2, 9300-34,800 रू०, ग्रेड वेतन 4800/- रू०

3. **शैक्षणिक योग्यता :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता। साथ ही आवेदक को कम्प्यूटर कोर्स में सर्टिफिकेट योग्यताधारी होना चाहिए। आशुलिपि (हिन्दी) - 150 शब्द प्रति मिनट, टंकण गति (हिन्दी एवं अंग्रेजी) 35 शब्द प्रति मिनट वांछनीय है।

4. **उम्र सीमा :-** दिनांक 01.07.2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष) 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला) 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) 42 वर्ष।

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. **परीक्षा की प्रकृति :-** प्रतिवेदक पद पर नियुक्ति, आशुलिपि (हिन्दी) की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी)के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 (सत्तर) मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य है। हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 35-35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-10/परी-1049/77 का०-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जाँच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में भी हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य है। उक्त टंकण जाँच परीक्षा कम्प्यूटर / साधारण टंकण यंत्र पर ही ली जायेगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा में सफल वैसे उम्मीदवार जो साधारण टंकण यंत्र पर टंकण परीक्षा देना चाहते है, उन्हें साधारण टंकण यंत्र स्वयं लाना होगा।

6. **मेधा सूची तैयार करने का आधार :-** आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल उम्मीदवारों की ही टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जाँच परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जायेगी।

7. **आवेदन पत्र एवं प्रवेश-पत्रक** -आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्रक के लिए क्रमशः निर्धारित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 को ए-4 आकार (210×297मि० मी०)के कागज पर बिहार विधान सभा के वेबसाईट http:/vidhansabha.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लावें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों पर ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। प्रवेश-पत्रक दो प्रतियों में स्वीकार किये जायेंगें। **निर्धारित प्रपत्र से अलग आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र-1 एवं प्रवेश पत्रक के लिए निर्धारित प्रपत्र-2 के साथ बिहार विधान सभा के वेबसाईट पर उपलब्ध है।**

8. **आरक्षण :-**
   (*i*) आवेदन-पत्र में नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
   (*ii*) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के परिपत्र संख्या-673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण सहित जाति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
   (*iii*) राज्य सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी समय समय पर निर्गत अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों में किये गये प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

9. **अन्य :-** अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, विहित प्रपत्र से भिन्न तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

10. **आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-** आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव, बिहार विधान सभा, पटना-800015 के पदनाम से मंगलवार 16.अगस्त 2016 को अपराह्न 6:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं कोटि का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

11. **परीक्षा की तिथि:-** (i) 16 अक्टूबर 2016-आशुलिपि (हिन्दी)
    (ii) 23 अक्टूबर 2016- हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण

12. यदि डाक सेवा में विलंब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन बिहार विधान सभा सचिवालय में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए बिहार विधान सभा सचिवालय कदापि जिम्मेवार नहीं होगा।

13. बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2015 को निरस्त समझा जाए। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2015 के आलोक में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन पत्र भेजा गया है, उन्हें भी वर्तमान विज्ञापन के आलोक में विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र देना आवश्यक होगा।

आर०एस०राय
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।